

राजस्थान सरकार

प्रशासन विभाग के संग जलियाम 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व १००० खेताली

भू अभिलेख निरीक्षक करेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2074 में खाता संख्या 130, 131, 132 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	देवीपुरा	130, 131 132	लक्ष्मण, लोभा, पन्ना, चाली, नेहरी, मफली, मोहनी, पिठ, कोण, शास्त्री, टिक्कालुमार	मोपी, लक्ष्मण, देभा, पन्ना, चाली, नेहरी, मफली, मोहनी, पिठ, कोण, शास्त्री, टिक्कालुमार

प्रभारी उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा  
दिनांक:- 25/5/22

क्रमांक/न्यायालय /2022 /416

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री जेपी डी कोण शास्त्री को

प्रभारी उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2022/416